



फर्द अहकाम

सोहन देवी बनाम गोरधन वगै०

नाम न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी फागी
केस संख्या:- 18/2025

क्र.स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05.03.2025	<p>यह वाद पत्र वकील श्री दौलतराम जाट ने चौधरी ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी हो। पत्रावली दिनांक 21.04.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी फागी, जयपुर </p> <p>27/3/25 आज यह पत्रावली वकील वाडी द्वारा मौखिक निवेदन करने पर तलब की गई। वकील वाडी ने उक्त वाद को साथे नहीं पलाकर इसी त्तर पर नोटिस अंकित कर खारिज करने का निवेदन किया। अतः उक्त वाद वकील वाडी द्वारा नोटिस अंकित के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज न. से कर हा दारिपल दफतर 2 है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी फागी, जयपुर </p>	<p>Not Press Jung</p>